



e-Stamp

- : IN-UP40976483854119W

: 19-Jan-2024 04:54 PM

: NEWIMPACC (SV)/ up14350604/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB

: SUBIN-UPUP1435060477996046522959W

: SMT SHIV DEVI WO HARAKHRAM

: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement

: Not Applicable

:

: SMT SHIV DEVI WO HARAKHRAM

: Not Applicable

: SMT SHIV DEVI WO HARAKHRAM

: 100
(One Hundred only)



Please write or type below this line

घोषणा- पत्र

मैं...। हम द्वीपसमुद्री सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देंता हूँ। देते हैं कि :- [क] मैं। हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ। करते हैं कि मैं हमअनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ के दिनांक से 2वर्षों के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ। रखते हैं। [ख] मैं। हम आयोंग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संहिता [कोड] को उसमें उल्लिखित किंही उपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबन्धों का इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबन्धों से जहाँ तक कि यह प्रयोज्य हैं बाध्य होने को सहमत हूँ।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत नियन्त्रण खण्ड द्वितीय
रायबरेली

(न) मैं/हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञापिधारी के लिये वह विधि सम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथितवितरणसहित

के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।

(प) मैं/हम आपे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञापिधारी को आपूर्ति में किसी विधि/कानूनी के हते कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे है उत्तरादायी नहीं ठहराया जायेगा।

(इ) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पर दो वर्ष पश्चात इस संहितामें विनियोगक्रिया के अनुसार किसी भी पक्कार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती है।

(ज) जब योजना सामान्य योजना लघु सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नवा परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभारित नहीं है ऐसी दशा में उसी परिवर्तक से ७०प्र० पावर कार्पोरेशनलि द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्तिनहीं होगी।

(क) उपरोक्त कारणोंवश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन में प्रयोग होने वाली विगम की सामग्री जिसका पैसा ७०प्र०पार्टकार्पोरेशनलि के खाते में पूर्व से ही जमा है सामग्री के बूल्ड का किसी भी दशा में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख) उपभोक्ता को पूर्व से स्थापित परिवर्तक से एल०टी०ल०ज०न पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसीपरिस्थिति में उपभोक्ता को नवे परिवर्तक हेतु धूट के अतिरिक्त निगम द्वारा नियारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(जि) मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि अगले माह तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो हमारी/स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि अगले माह/आगामी माहों में खण्डीय कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड क्लॉसिट रायबरेली से बिल प्राप्त करेंगा/करता रहूँगा तथा उसका भुगतान समझ करेंगा/करता रहूँगा।

(अ) मैं/हम आपे इस बात पर सहमत हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये घोषणा पर को अनुज्ञापिधारी के साथ किये गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।

(ट) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन पर में दिये गये सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी बाद की दिनोंके पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञापिधारी को आपूर्ति दी देने जैसी स्थिति होने का अधिकार होगा।

(ठ) मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अनिविकृत परिवर्तन/परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या नीटर को छेड़ते हुए या उससे कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुज्ञापिधारी द्वारा मुझे/हमको उपलब्ध कराई नहीं कर्जा को विधिसम्मत और प्राधिकरणपूर्ण उपयोग किया जाये। उस दशा में जबकि अनुज्ञापिधारी के पास मह समझने या आशंका करने का युक्तिमुख्य आधार हो कि उपकरण भौतिक अप्राधिकृत परिवर्तन/परिवर्तन बाहे वह कैसा भी क्यों न हो किया गया है, या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोग या नीटर से छेड़ते हुये विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है या उससे छेड़छाड़ की गयी है या अनुज्ञापिधारी का कोई पराभिहित प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होया कि वह उपकरण भौतिक और वायरिंग आदि के सामान्य नियोजन और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।

(ड) मैं बच्च देता हूँ कि जब कभी वह परिसर जिसके लिए विद्युत क्षेत्रान्तर लिया जा रहा है खाली करना है तो अनुज्ञापिधारी को विद्युत वितरण भाँहता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सुधित करेंगा।

दिनांक :

स्थान
गवाहां के स्थान

आवेदक के दस्तावेज

अधिशापी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय

रायबरेली

१ विजयलिंग २१८ दोर्टलूल
ग्राम पाठ नं० ५३८ पुलेटा
शाय वर्षली

२ मोन २१० बाबे लाल
ग्राम पाठ नं० ५३८ पुलेटा
शाय वर्षली